...ालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

...न अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
... वाद संख्या : 51/2018
...S NO. : 2018/00100

-: प्रार्थीगण :- बनाम -: अप्रार्थीगण :-

...न्नराज पुत्र हेमाराम
...गलाई पत्नी हेमाराम
...ातियान– मेघवाल(भांबी),
...वासीगण– ग्राम बलून्दा,
...हसील– जैतारण, जिला–
...ाली।

1. अमरचन्द पुत्र कानाराम
2. माणकचंद पुत्र कानाराम
जातियान– मेघवाल(भांबी), निवासीगण– ग्राम बलून्दा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।

प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी ...नियम, 1955

तारीख रजू:.12/03/2018

...:–

1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः– 28/12/2021

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) ...न काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का ... कर निवेदन किया हैं कि सायलान व गैरसायलान की खातेदारी व कब्जा काश्त ...षि भूमि राजस्व मौजा बलून्दा पटवार हल्का बलुन्दा तहसील जैतारण में स्थित है ...रहद बलून्दा में बलून्दा गांव की आबादी से बिछुड़ा व मेजालिया के बीच से ... हुआ आगे जैतारण मेड़ता सड़क से मिल जाता है जो खसरा नम्बर 1816 के ... दर्ज होकर मौके पर रास्ता चल रहा है, इस रास्ते से दक्षिणी तरफ गैरसायलान ...सरा नम्बर 1472 रकबा 06–07 बीघा भूमि आई हुई है तत्पश्चात् इसके ही ... तरफ खसरा नम्बर 1471 रकबा 07–07 बीघा भूमि सायलान् की आई हुई है। ... नकल चालू जमाबन्दी व नक्शा ट्रैस इस कार्यवाही के साथ पेश है। सायलान का ... झोपड़ा व कुआ खसरा नम्बर 1471 के उत्तरी पूर्वी कॉर्नर में वर्षो पूर्व से ... हुआ है तथा सायलान के इस बेरे व रहवासी झोपडे तक आवागमन करनें का ... रास्ता गैरसायलानर के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1472 ...र्वी तरफ स्थित है, जो मौके पर 12 फुट चौड़ाई में चल रहा है एवं सायलान का ... रास्ता है। इसी रास्ते से सायलान के रहवासी बेरे पर ... अपनी खातेदारी भूमि में काश्त के प्रयोजनार्थ भी आते जाते रहे है। साय... ...रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। सायलान अपने बेरे पर रह... ...ान अपना कृषि कार्य भी कर रहे है। सायलान के परिवार के बच्चे ... ... आदि इसी रास्ते से होकर आवागमन करते है। रास्ते का नजरी नक्शा ब... प्रार्थनापत्र के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमें रास्ते का मार्क ए बी सी डी से ...ा गया है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में मार्क ए बी सी डी से ... गये रास्ते स्थल से होकर सायलान के पिता प्रपिता आदि आवागमन करते रहे है। ... रास्ता कदीमी है। जो सेटलमेन्ट के समय से ही मौके पर चल रहा था, लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar
Date: 2022.01.24 18:30:48
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

टलमेन्ट के नक्शा ट्रैस में तरमीम नहीं हो पाया तथा उक्त रास्ते की भूमि
लान के पूर्वजों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई। अभी कुछ माह पूर्व
लान ने मौके पर सायलान के रास्ते को बंद करनें की कुचेष्टा की थी व
न को इस रास्ते से होकर आवागमन करनें से मना किया था। जिसे पर ज्यादा
शा करनें पर गैरसायलान ने कहा कि इस वर्ष तो आपका फसल की बुवाई
गें, लेकिन आगामी वर्षो में आपको फसल की बुवाई नहीं करनें देगें। सायलान
मझाने के बावजूद भी गैरसायल नहीं मान रहें तथा दिनांक 26.02.2018 को
रूप से गैरसायलान ने रास्ता बंद करनें की एलानिया धमकी सायलान को दे दी
स प्रकार गैरसायलान बदनियतीपूर्वक रास्ता बंद करनें को अमादा हैं। यदि
लान सायलान के इस एक मात्र रास्ते को बंद कर देते है तो सायलान हमेशा
के लिये अपने कृषि कुएं व कृषि भूमि पर आवागमन नहीं कर पायेगें। जिससे
न को भारी परेशानी होगी व नुकसान होगा। इस बाबत् सायलान विधिक प्रावधानों
र रास्ते की मुआवजा राशि देने बाबत् भी तैयार है व उसके बावजूद भी
लान नहीं मान रहे है। सायलान ने गैरसायलान को मुआवजा राशि लेने हेतु
किया परन्तु गैरसायलान दिनांक 26.02.2018 को रास्ते पेठे मुआवजा राशि
ा निर्धारण करते हुये सायलानी द्वारा जमा करवाकर गैरसायलान को दिलावाई
आवश्यक है तथा माफिक नजरी नक्शे के सायलान के रास्ते को राजस्व रेकर्ड में
रास्ते के दर्ज करवाने के सायलान अधिकारी है। उक्त रास्ता सायलान का कदीमी
हैं इसलिये इस रास्ते का विधि अनुसार मुआवजा राशि भी अदालत श्रीमान् द्वारा
किया जावें। उक्त मुआवजा राशि सायलान देने को भी तैयार है। न्यायालय में जमा
ने को तैयार है। नजरी नक्शें में दर्शित रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक
ा माफिक नजरी नक्शे के सायलान के रास्ते को राजस्व रेकर्ड में बतौर रास्ते के
करवाने के सायलान अधिकारी हैं। उक्त रास्ता सायलान का कदीमी रास्ता हैं।
ये इस रास्तके का विधि अनुसार मुआवजा राशि भी अदालत श्रीमान् द्वारा तय
जावें। नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते की भूमि मार्क ए, बी, सी, डी को खसरा
1472 से कम किया जाकर रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक हैं व
का खसरा नम्बर अलग से भी कायम किया जाना आवश्यक है एवं रास्ते को भी
ट्रेस में तरमीम करवानें का अधिकारी है। सायलान को उक्त रास्ते की इजमेंट
नेसेसिटी हैं इसलिये भी सायलान रास्ता कायम करवानें के अधिकारी है। सायलान
यह प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों अनुसार अन्दर म्याद आवश्यक न्याय शूल्क के
ा कर पेश किया जा रहा है। जो अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में
अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तोवजात के पेश कर श्रीमान [illegible] निवेदन है
प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे के माफिक खसरा [illegible] 1 [illegible] जो
ायलान के नाम दर्ज है में से होते हुये मार्क ए, बी, सी, डी तक [illegible]
गैरसायलान की खातेदारी कृषि भूमि से कम किया जाकर सायलान की कृषि भूमि व
पर आने जाने का रास्ता कायम किये जाने का निर्णय व फैसला फर[illegible] व रास्ता
किये जाने वाली भूमि का बाद पेमाईश रकबा का मुआवजा तय फरमावे व सायलान
मुआवजा राशि न्यायालय में जमा करवाने पर उसे गैरसायलान को अदा फरमावें व
लान का उक्त रास्ता कायम करते हुये सायलान के प्रार्थना पत्र को मन्जूर फरमाकर
लान को न्याय दिलावे।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2022.01.24 18:30:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन
बाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से वकालतनामा पेश
प्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया जो सा0मि0 हैं। अप्रार्थीगण ने जवाब
पत्र में जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में दर्ज कथनों का जबाब
इस पद में इस हद तक सही कथन है कि करबा बलुन्दा से खेतों में जाने के
के दक्षिण में गैरसायलान कि खातेदारी एंव कब्जे काश्त कि कृषि भूमि खसरा
1472 रकबा 6-07 बीघा किस्म बारानी दोयम स्थित है। करबा बलुन्दा से से
में जाने वाला रास्ता आगे पूर्वी और जैतारण से मेड़ता सिटी रोड़ से मिलता है।
लान के खसरा नम्बर 1472 के दक्षिण में सायलान की खातेदारी की भू होने के
जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में दर्ज
का जबाब द्य कि गैरसायलान के खसरा नम्बर 1472 के दक्षिणी पूर्वी और के
सायलान का न तो मौके पर रहवासी झोपड़ा है व न ही कुँआ है तो फिर
न द्वारा यह कथन करना की हमारे खेत व बेरें व रहवासी झोपड़े तक आना
व खेत की बुवाई हेतु गैरसायलान की खातेदारी एंव कब्जे काश्त कि भूमि के पूर्वी
मौके पर 12 फीट चौड़ाई में रास्ता चल रहे होने के कथन पूर्णतय गलत झूठे व
ने अंकित किये है, जब गैरसायलान कि खातेदारी की भूमि के पूर्वी तरफ जब
पर रास्ता ही नही है तो सायलान मय परिवार द्वारा अपने अमरचन्डबेरे पर व कृ
ार्य हेतु पशुधन, ट्रेक्टर आदि साधन से होकर आवागमन करने के कथन भी
निक अंकित किये है। सायलान द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में गैरसायलान
त में जो ए बी सी डी जो रास्ता दर्शाया हैं जो गलत है। प्रार्थना पत्र के पद
ा 3 में दर्ज कथनों का जबाब है कि सायलान द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार ए
ी डी से होकर रास्ते से अपने खेत में पूर्वजों से आना जाना करने व रास्ता
मी होने के कथन भी मनमाने व गलत अंकित किये है। यदि सेटलमेंट के समय से
पर रास्ता चल रहा होता तो निश्चित रूप से राजस्व रेकर्ड के सेटलमेंट के नक्श
में तरमीम होता सायलान द्वारा यह कथन भी गलत अंकित किये है कि सेटलमेंट
नक्शा ट्रेस में तरमीम नही हो पाया व रास्ते की भूमि गैरसायलान के पूर्वजो के
दर्ज हो गई के कथन भी गलत है जब कि गैरसायलान के पास खसरा नम्बर
72 रकबा 6-07 बीघा से अधिक भूमि नहीं हैं। गैरसायलान के खेत के चारों ओर
क लगी हुई है तथा पत्थरों के बीच में से होकर तारबन्दी की हुई है तो फिर
सायलान के खेत के पूर्वी तरफ कोई रास्ता मौजूद नहीं है, जब रास्ता ही नहीं है तो
सायलान द्वारा रास्ते को बन्द करने की कुचेष्ठा करना व रास्ते से होकर मना करने
कथन व समझाईस के कथन व इस वर्ष फसल बुवाई [illegible]
सल की बुवाई नही करने के कथन प्रार्थना पत्र करने कि गरज से पूर्ण गलत [illegible]
मनमाने अंकित किये है। मौके पर गैरसायलान के खेत के पूर्वी तरफ 12 [illegible]
ड़ाई में रास्ता होकर सायलान के खेत में जाने का मौके [illegible] नही
तो दिनांक 26.02.2018 को स्पष्ट रूप से रास्ता बन्द करने की धमकी [illegible] का
थन काल्पनिक अंकित किया है। सायलान अपने खेत में, खेतों में जाने वाले रास्ते के
क्षिण में स्थित खसरा नम्बर 1473 के खातेदार तुलछाराम, पुकाराम, कालूराम,
वरराम पुत्र रामाराम जाति- खटीक, निवासी बलुन्दा के खेत के पूर्वी और स्थ होकर
ायलान अपने खेत में पीढीयों से आते जाते है व अपनी खेत की बुवाई करते है जो

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar B
Date: 2022.01.24 18:30:48 IS
Reason: SelfAttested

लान द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में पीले रंग से बिन्दू ए, बी से सी, डी दर्शाया है। लान के खेत के पूर्वी और जब रास्ता के कोई आलामात ही नहीं है तो सायलान गैरसायलान को मुआवजा राशि देना व इन्कार होना व मुआवजा राशि का जय द्वारा निर्धारण करवाते हुये राशि जमा करवाकर गैरसायलान को दिलाई जाना फिक नजरी नक्शेनुसार सायलान के रास्ते को राजस्व रेकर्ड में बतौर रास्ता दर्ज । कथन झूठे मनमानें अंकित किये है। खसरा नम्बर 1472 गैरसायलान की पैतृक भूमि है। जिसमें खाद, बीज, मिट्टी डालकर लाखों रूपयें खर्च कर उपजाऊ बनाया चारों तरफ 3-3 फीट खन्दक है व तारबन्दी है तो फिर गैरसायलान के खेत की और नये सिरे से कोई रास्ता कायम करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र के संख्या 4 में दर्ज कथनों का जबाब है कि जब मौके पर सायलान खसरा नम्बर 3 के खेत के पूर्वी तरफ मांठ से होकर आते जाते है तो फिर सायलान यलान के खेत में से रास्ता कायम करवाने के अधिकारी नहीं है तथा गैरसायलान परिवार के पिछले 15 वर्षो से जोधपुर रहते है तथा वर्षा होने पर अपने खेत की हेतु आते रहते है। सायलान ने मात्र गलत कथनों के आधार पर जो प्रार्थना पत्र किया जो पोषणीय नहीं है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व नजरी नक्शा दस्तावेज पेश कर निवेदन है कि सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा ज फरमावें।

तहसीलदार जैतारण ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक/भू.अ./20/567 दिनांक 02.2020 मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा पटवारी पटवार हल्का जैतारण द्वारा त फर्द मौका रिपोर्ट, मौके की फोटोग्राफस तथा नजरी नक्शा पेश किया जो मि0 है। भू अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालू द्वारा प्रस्तुत मौका एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा खेत में जाने हेतु वर्तमान में रास्ता नहीं है। उपरोक्त कृषि कार्य हेतु चाहा गया है। प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा निरीक्षक आ0कालू र्ट में दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ताम मार्क ए बी खसरा नम्बर 1472 में लम्बई गठ्ठा एवं चौड़ाई 2 गठ्ठा यानि 03 बिस्वाख, मार्क सी, डी खसरा नम्बर 1473 लम्बाई 28 गठ्ठा एवं चौड़ाई 2 गठ्ठा यानि 03 बिस्वा है। उपरोक्त भूमि मौके पर ली है। बहस वकुलाय की सुनी गई।

बहस वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान श्तकारी अधिनियम पर सुनी गई। बहस समायत कि गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय तावेजात एवं मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर बहस वकील प्रार्थी पर र कर मनन किया गया।

प्रार्थीगण खातेदार द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251क, [illegible] काश्तकारी धिनियम 1955 प्रस्तुत कर यह निवेदन किया हैं कि उसकी [illegible] सरहद [illegible] बलुन्दा ट्वार हल्का बलुन्दा तहसील जैतारण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा [illegible] 1471 फबा 07-07 बीघा तक पहुंच के लिये वर्तमान में कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध हीं है। प्रार्थीगण वर्षो से खसरा संख्या 1472 की भूमि में से 12 [illegible] चौड़ाई में चल हे कदीमी रास्ते का वर्षो से आवगमन के लिये उपयोग कर रहें है। अतः खसरा संख्या 472 में से अभिलिखित रास्ता दर्ज कर पृथक से तरमीम करवाई जावें।

अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनकी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1472 में से प्रार्थीगण के लिये कभी कोई कदीमी रास्ता नहीं

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:48 IST
Reason: SelfAttested

है। प्रार्थीगण खसरा संख्या 1473 की भूमि मे से आवगमन करते है। अतः गण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1472 में से प्रार्थीगण को रास्ता नहीं जाये।

अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालू से प्रकरण में दो बार मौका एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जो दिनांक 02.02.2020 एवं दिनांक 26.03.2021 को भू लेख निरीक्षक आनन्दपुर कालू द्वारा मौके पर तैयार की जाकर न्यायालय हाजा की गई। उक्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी ग्राम की खसरा संख्या 1741/1 है न की 1471, उक्त भूमि तक पहुंच के लिये अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण की भूमि में जानें हेतु दो विकल्प वित है :- 1. अप्रार्थीगण की आराजी के खसरा संख्या 1472 में से मार्क सी से क 26 गठ्ठ व 02 गठ्ठा चौड़ा अर्थात् कुल रकबा 03 बिस्वा, 2. ग्राम बलुन्दा के संख्या 1473 की भूमि में से मार्क ए से [illegible] तक 28 गठ्ठा लम्बा तथा 02 चौड़ा अर्थात् कुल रकबा 03 बिस्वा। खसरा संख्या 1472 में से प्रस्तावित रास्ता तम एवं निकटतम विकल्प है। तहसील राजस्व लेखाकार जैतारण की रिपोर्ट अनुसार वेत भूमि की वर्तमान प्रचलित डी0एल0 [illegible] 42,100/- रूपये प्रति बीघा है। का दो गुना 84,200/- रूपयें बनते [illegible] था प्र[illegible] 4210 रूपयें है।
राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 [illegible] 251ए में निम्नलिखित विधिक ान है:-

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार है:-

– क ''अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना।–(1) जहां

- कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

– कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी तों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना ता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि–

– यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक भोग के लिए नहीं है, और

)– अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, चने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, रा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट चे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को रित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया ये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक क विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित रता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:48 IST
Reason: SelfAttested

…ो चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो …रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा। …जहां–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को …त करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को …ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी …ह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी। …वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के …ा के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, … से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251ए में यह आज्ञापक विधिक …यकता है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जा सकता है, जबकि उसकी …तिक आवश्यकता हो साथ ही कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो। …स प्रकार उपर्युक्त विवेचन एवं भू-अभिलेख आनन्दपूर कालू के जांच प्रतिवेदन तथा …भिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है [illegible] की खातेदारी आराजी ग्राम बलून्दा …खसरा संख्या 1471/1 रकबा 0[illegible] बी[illegible] ज[illegible]सरा संख्या 1472 से … हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थन[illegible] अपनी खातेदारी आराजी 1471 होना …ा किया है, जो कि सहवन से [illegible] होना जाहिर होता है। खसरा संख्या …1/1 के लिये वर्तमान में कोई अभिलिखित पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण …वैकल्पिक रास्ते के लिये की गई मांग केवल सुविधा के लिये न होकर आत्यंतिक …यकता के लिये हैं तथा प्रार्थीगण की आराजी तक पहुंच के लिये निकटतम …लिखित रास्ता खसरा 1816 किस्म गैर मुमकिन रास्ता से न्यूनतम एवं निकटतम …का विकल्प अप्रार्थीगण की आराजी के खसरा संख्या 1472 की भूमि में से होना …त होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुये प्रार्थीगण की खातेदारी …जी ग्राम बलुन्दा के खसरा संख्या 1471 रकबा 07–07 बीघा तक पहुंच के लिये …टतम अभिलिखित रास्ता ग्राम बलुन्दा के खसरा 1816 किस्म गैर मुमकिन रास्ता …अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी के खसरा संख्या 1472 की पश्चिमी माठ के सहारे …अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालू द्वारा प्रेषित फर्द मौका रिपोर्ट के अनुरूप 26 …ा लम्बा व 02 गट्ठा चौड़ा जिसका कुल रकबा 03 बिस्वा बनता है, अप्रार्थीगण की …तेदारी में से कम करते हुये सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाना तथा इसके प्रतिकर …रूप तहसील राजस्व लेखाकार जैतारण की रिपोर्ट अनुसार प्रभावित भूमि की वर्तमान …लित डी0एल0सी दर 42,100/– रूपये प्रति बीघा, जिसका दो गुना 84,200/– …यें बनते है तथा प्रति बिस्वा दर 4210 रूपयें है के आधार पर 03 बिस्वा भूमि के …ये कुल 12,630/– रूपये प्रतिकर राशि नियत करते हुये इसे प्रार्थीगण से वसुल की …कर अप्रार्थीगण को भुगतान करवाया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा …51ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें तथा सारवान होनें …स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी ग्राम बलुन्दा तहसील जैतारण …जला– पाली राज0 के खसरा संख्या 1471/1 रकबा 07–07 बीघा तक पहुंच मार्ग के

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

ट्तम अभिलिखित रास्ता ग्राम बलुन्दा के खसरा संख्या 1816 किस्म गैर
रास्ता से अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की आराजी खसरा संख्या 1472 रकबा
बीघा के पश्चि[illegible] माठ के सहारे भू अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालू की फर्द
पोर्ट के अ[illegible] व 02 गट्ठा चौड़ा कुल रकबा 03 बिस्वा
[illegible] खातेदारान की अभिधृति निर्वापित करते हुए, इसका रकबा
ण की खा[illegible] में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवाय चक
किया जाता है। उक्त रास्ता भूमि की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी
) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की
प्रचलित डी0एल0सी0 दर अर्थात् 42,100/- रूपये प्रति बीघा की दुगुनी मानते
ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी में से कम किया गया कुल रकबा 03 बिस्वा
कुल प्रतिकर राशि 12,630/- रूपये (अक्षरे बारह हज़ार छः सौ तीस रूपये
निर्धारित करते हुए तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह
प्रतिकर राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 01 अमरचन्द पुत्र कानाराम,
प्रार्थी संख्या 02 माणकचन्द पुत्र कानाराम को भुगतान करें। सम्बन्धित खातेदारान्
राशि प्राप्त नहीं करनें पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार/वारिसान
राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं
तहसीलदार, जैतारण भू-अभिलेख में अमल-दरामद कर मौके पर सीमाँकन कर
रास्ता चालू करावें। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हों। पत्रावली इसी
क निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)

णय आज दिनॉक 28/12/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)